न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी : पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

प्र.सं. 35/2021 प्रार्थना पत्र स्थानांतरण

1. रामजीलाल पुत्र गणपतलाल जाति ब्राह्मण निवासी खंडेवल तहसील लवाण जिला दौसा राजस्थान।

... प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार, तहसील लवाण जिला दौसा
2. लल्लूप्रसाद पुत्र राधेश्याम
3. सुरेश पुत्र राधेश्याम
   समस्त जाति जाति ब्राह्मण निवासी खंडेवल तहसील लवाण जिला दौसा राजस्थान।

अप्रार्थीगण

स्थानांतरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 54 एलआर एक्ट विरूद्ध तहसीलदार लवाण बाबत रिमांड नामांतरकरण प्रकरण उनवानी रामजीलाल बनाम लल्लू मु0नं0 02/2019

उपस्थित : 1. श्री महेश चंद शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता
3.श्री रमेश कुमार खंडेलवाल, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 व 03

—:: निर्णय ::—

दिनांक: 16.11.2021

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय तहसीलदार लवाण में विचाराधीन वाद उनवानी रामजीलाल बनाम लल्लू मुकदमा नं0 02/2019 को किसी भी दीगर तहसीलदार के न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानांतरित करने हेतु प्रार्थना पत्र स्थानांतरण पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लवाण से तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 202 रकबा 1.63है. वाके ग्राम खंडेवल में स्थित है। उक्त भूमि बाबत अप्रार्थी संख्या 02 लगा.03 द्वारा उक्त भूमि के ए.एस.ओ. कैंप दौसा दिनांक 24.01.1985 बहक रामजीलाल के आदेश के खिलाफ श्रीमानजी के समक्ष एक अपील पेश की। उक्त अपील को श्रीमान ने सुनवाई कर तहसीलदार लवाण को रिमांड कर दिया। जिस आदेश के विरूद्ध प्रार्थी ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिस पर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लवाण को दोनों पक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य व सबूत का अवसर देकर निर्णय पारित करने का निर्णय पारित किया है। उक्त प्रकरण वर्तमान में तहसीलदार लवाण के समक्ष विचाराधीन है जिसमे बिना सुनवायी करे व बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये व श्रीमान के आदेश की पालना किये बिना उक्त रिमांड प्रकरण में निर्णय पारित करने हेतु आमादा हो रहे है। प्रार्थी द्वारा अनेको बार तहसीलदार लवाण के

Web Copy - Not Official

न्यायालय उपस्थित होकर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में तारीख पेशी बताओ तथा हमें साक्ष्य व सबूत व दस्तावेज पेश करने का अवसर दो तो तहसीलदार लवाण उक्त प्रकरण में कोई तारीख नहीं दे रहे है तथा न ही प्रकरण में प्रार्थी की सुनवाई कर रहे है तथा ना ही कोई दस्तावेज व साक्ष्य ले रहे है। प्रार्थी के द्वारा पूछने पर सिर्फ इतना ही कहते हैं कि मुझे निर्णय करना है, और उक्त प्रकरण का एक– दो दिन में निस्तारण कर दूंगा। प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता के जरिये उक्त प्रकरण की आर्डरशीट की नकल लेने हेतु भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 15 दिवस पूर्व आवेदन कर रखा है, जिस पर भी अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से बार–2 निवेदन करने पर भी नकल तक नहीं दी जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा श्रीमान के द्वारा पारित आदेश की पालना कर विधिवत प्रकरण में सुनवाई कर और साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया जाकर प्रकरण में कार्यवाही करनी चाहिए किन्तु तहसीलदार लवाण कानून के विपरीत तरीके से प्रकरण में निर्णय करने पर आमादा हो रहे है। दिनांक 2.7.2021 को प्रार्थी तहसील लवाण में गया तो अप्रार्थी सुरेश भी मौजूद मिला तथा तहसीलदार लवाण के चैंबर में बैठा हुआ बातचीत कर रहा था। प्रार्थी ने तहसीलदार लवाण से प्रकरण में तारीख पेशी पूछी तथा सुनवाई करने हेतु निवेदन किया तो तहसीलदार लवाण ने प्रार्थी को स्पष्ठ कहा कि उक्त प्रकरण में कोई तारीख पेशी नहीं है, मैं उक्त प्रकरण का दो–चार दिन में निस्तारण कर दूंगा। प्रार्थी को तहसीलदार लवाण ने बाहर भेज दिया तथा अप्रार्थी सुरेश ने बाहर आकर प्रार्थी को धमकी दी कि हमारी तहसीलदारजी से बात हो गई है। दो चार दिन में हमारे पक्ष में उक्त प्रकरण का निस्तारण हो जायेगा। प्रार्थी को तहसीलदार लवाण से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लवाण के समक्ष विचाराधीन रिमांड प्रकरण उनवानी रामजीलाल बनाम लल्लू प्रसाद दीगर तहसीलदार के न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानान्तरित करने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 लगायत 02 द्वारा बहस ने बहस में दलील दी है कि प्रार्थी रामजीलाल की ओर से पेश प्रार्थना पत्र मे लगाये गये आरोप के तथ्य सरासर झूठे एवं बनावटी है जो सत्य से परे है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लवाण मे प्रकरण की नियमित रूप से सुनवाई की जा रही है। प्रार्थी के अधिवक्ता को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लवाण द्वारा साक्ष्य सबूत पेश करने पूर्ण अवसर दिया जा रहा है। प्रार्थी की ओर से पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों के समर्थन मे कोई साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थी का उद्देश्य उक्त वाद को ज्यादा से ज्यादा लम्बे करते रहने का है। उक्त प्रकरण की सुनवाई तहसीलदार लवाण के समक्ष ही करवाया जाना न्यायोचित है। साथ ही स्थानान्तरण प्रा0पत्र में पीठासीन अधिकारी का नाम भी अंकित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने दलील दी है कि तहसीलदार लवाण द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुए प्रार्थी व अप्रार्थीगण को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा नकल चाहे जाने पर नियमानुसार नकल उपलब्ध कराई गई है। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार लवाण द्वारा साक्ष्य सबूत का अवसर दिये जाने पर कोई साक्ष्य या तथ्य व सबूत पेश नहीं किये गये है। प्रार्थी झूंठे बहाने बनाकर प्रकरण का निस्तारण नही करवाना चाहता है। साथ ही प्रार्थना पत्र में पीठासीन अधिकारी का नाम अंकित नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण को लंबे समय तक लटकाये रखने हेतु स्थानान्तरण प्रा.पत्र पेश किया है। अतः स्थानान्तरण प्रा0पत्र खारिज फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार लवाण से प्राप्त टिप्पणी के अनुसार प्रार्थी झूंठे बहाने बनाकर प्रकरण का निस्तारण नहीं करवाना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं का अवलोकन करने से स्पष्ठ होता है कि अधनीस्थ पीठासीन अधिकारी द्वारा विधि प्रकिया के अनुसार प्रकरण की नियमित सुनवाई की जा रही है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई प्रमाण या साक्ष्य प्रस्तुत नही नहीं किया जिससे यह जाहिर होता हो कि पीठासीन अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण स मिलीभगत कर प्रकरण को उनके पक्ष में निस्तारण करने हेतु आमादा है। स्थानान्तरण प्रा.पत्र को देरी ना करने की की गर्ज से प्रस्तुत किया जाना स्पष्ट होता है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकरण को स्थानान्तरित करने के संबंध मे कोई औचित्य पूर्ण तथ्य प्रस्तुत नही किये गये है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्यों एवं प्रकरण के निस्तारण मे विलंब होने की स्थिति को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय तहसीलदार लवाण में विचाराधीन प्रकरण उनवानी रामजीलाल बनाम लल्लूप्रसाद वगै0प्रकरण संख्या 02/2019 को दीगर तहसीलदार को स्थानान्तरित करने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लवाण को निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पीयुष समारिया)
जिला कलैक्टर, दौसा
जिला कलैक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 16 नवंबर, 2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलैक्टर,दौसा